①

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 02/2017

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनू ।

–बनाम–

मनोज कुमार पुत्र तेजाराम प्रजापत, निवासी वार्ड न0 4 बिसाऊ, पुलिस थाना बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ----------सरकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 11.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 07.04.2017 को गैर सायल मनोज कुमार पुत्र तेजाराम प्रजापत, निवासी वार्ड न0 4 बिसाऊ, पुलिस थाना बिसाऊ, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि मनोज कुमार पुत्र तेजाराम प्रजापत, निवासी वार्ड न0 4 बिसाऊ, पुलिस थाना बिसाऊ,जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है। यह कस्बा बिसाऊ व आस–पास के इलाका में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही हैं, जिसके द्वारा जुआ सटटा के अपराध में लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 2 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से 2 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्वि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अभियोग संख्या 107/13 दिनांक 03.11.13 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बिसाऊ, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 91 दिनांक 06.11.13 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने

45
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय दिनांक 20.11.13 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या 130/14 दिनांक 13.12.14 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बिसाऊ, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 98 दिनांक 18.12.14 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.05.15 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त मनोज कुमार पुत्र तेजाराम प्रजापत, निवासी वार्ड न0 4 बिसाऊ, पुलिस थाना बिसाऊ, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 16.02.18 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह श्री महेन्द्र सिंह उ0 नि0 तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना बिसाऊ, झुंझुनू एवं श्री इन्द्रपाल मुख्य आरक्षी, पुलिस थाना बिसाऊ, झुंझुनू के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना बिसाऊ, झुंझुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

1. अभियोग संख्या 107/13 दिनांक 03.11.13 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बिसाऊ, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 91 दिनांक 06.11.13 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.11.13 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या 130/14 दिनांक 13.12.14 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बिसाऊ, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 98 दिनांक 18.12.14 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.05.15 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक मनोज कुमार पुत्र तेजाराम प्रजापत, निवासी वार्ड न0 4 बिसाऊ, पुलिस थाना बिसाऊ, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना बिसाऊ, झुंझुनू में अभियोग संख्या 107/13 दिनांक 03.11.13 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बिसाऊ, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 91 दिनांक 06.11.13 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.11.13 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग संख्या 130/14 दिनांक 13.12.14 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना बिसाऊ, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 98 दिनांक 18.12.14 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.05.15 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। गैर सायल मनोज कुमार राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा आरपीजीओ अधि0 के तहत अपराध करना आवश्यक नही है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल मनोज कुमार को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

(5)

अतः गैरसायल मनोज कुमार पुत्र तेजाराम प्रजापत, निवासी वार्ड न0 4 बिसाऊ, पुलिस थाना बिसाऊ, जिला झुन्झुनू, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल मनोज कुमार पुत्र तेजाराम प्रजापत उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि मे जहॉ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना बिसाऊ को देंगे तथा थानाधिकारी थाना बिसाऊ झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे । यह निर्णय दिनांक 11.03.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राजस्थान)

11.03.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं